(e) and (f) Only a limited quantity of superior quality of pulses is allowed to be exported, so that the interests of the vulnerable sections of the society are not adversely affected. The maximum ceiling released for export of pulses during 1994-95 is 10,000 Metric Tonnes. Since import of pulses is freely allowed, importers are free to import different varieties of pulses. The quantity of pulses imported and exported during the last three years are as follows :—

(Quantity in lakh tonnes)

Year	Imported	Exported
1990-91 . . .	12.73	0.15
1991-92 . . .	3.11	0.26
1992-93 . . .	5.79	0.37

(g) The details are as follows :—

Quantity (in Kgs.)

Country	Per Capita Production 1992	Per Capita Consumption 1984-86
India . . .	14.61	14.0
China . . .	5.48	3.6
Former USSR . .	27.76	2.4
USA . . .	4.79	3.1

SOURCE : FAO Production Year Book 1992 and FAO Food Balance Sheet 1984-86.

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भण्डारण क्षमता

4081. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु कुल कितनी क्षमता है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का भंडारण किया गया है और खाद्यान्नों की कितनी मात्रा खुले स्थान में पड़ी हुई है;

(ग) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व में कुल कितने गोदाम हैं और इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम को पूरे देश में कुल कितनी भंडारण क्षमता की और आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस योजना का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1-1-1994 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (ढके हुए और कैप) की कुल भंडारण क्षमता 234.58 लाख मीटरी टन है ।

(ख) 1-1-1994 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के ढके हुए गोदामों के कुल 158.35 लाख मीटरी टन और कैप (खुले) स्थान में 26.85 लाख मी० टन खाद्यान्न भंडारित थे ।

(ग) 1-1-1994 को स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 152 गोदाम उपलब्ध हैं और 12.36 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता (ढकी हुई और कैप) उपलब्ध है ।

(घ) मैक्रो स्तर पर, उपलब्ध स्टाक का भण्डारण करने के लिए वर्तमान भण्डारण क्षमता पर्याप्त है । तथापि, परिचालन अथवा प्रबन्धन संबंधी बाधाओं के कारण अत्यधिक वसूली वाले क्षेत्रों, प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों जैसे कुछेक पाकेटों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं । ऐसी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराये पर लेने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । भारतीय खाद्य निगम भी, जहां कहीं आवश्यकता सिद्ध हो जाती है, अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करता है । भारतीय खाद्य निगम की आठवीं योजना (1992—97) के दौरान 6.62 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशें

4082. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदन जैन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से महाराष्ट्र को तीन क्षेत्रों (जोन) में बांटने की महाराष्ट्र सरकार की मांग को "औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो" को सौंप दिया है;

(ख) क्या "औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो" ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) ने सिफारिश की थी कि दक्षिण महाराष्ट्र को दो जोनों अर्थात् दक्षिण महाराष्ट्र